221

328

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा, जिला रीवा

{म0 प्र0}

नारायण दास पटेल तनय श्री हीरालाल, निवासी ग्राम दुगौली, तहसील - हनुमना, जिला रीवा {म0 प्र0} --------- निगरानी कर्ता

बनाम

R-1948-I5/12

1. रामरती पटेल पत्नी श्री भैयालाल पटेल, निवासी ग्राम दुबगवां,
2. मंगल प्रसाद तेली तनय श्री रामधनी निवासी ग्राम भुण्डहा मुतालिके दुगौली,
3. मोहन कुर्मी तनय श्री मोलई कुर्मी निवासी ग्रामअटरिया,

सभी तहसील हनुमना, जिला रीवा {म0 प्र0}

4. शासन म0 प्र0 ----------- गैर निगरानी कर्ता गण

अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 31.5.12

31.5.12

27.6.12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक- 08 60 अ74/2009-10 पारित आदेश दिनांक 13/04/12 अन्तर्गत धारा - 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

मान्यवर,

:- निगरानी आवेदन के आधार निम्न हैं :

1/- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/04/12 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

क्रमशः 2 नारायण दास पटेल

31/5/12

XXXIX(a)-BR(H)-11

221

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1948-II** / 12 जिला–रीवा

नारायणदास पटेल / रामरती पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 60/अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	